

श्रीमती श्री. मधुनी देवी
न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
अलवर [राज०]

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही
18-9-17	पत्रावली केस 585/ अर्जित दिनांक 25-9-17 को पेश हो। विशेष/ अर्जित दिनांक 25-9-17 को पेश हो। उक्त रफात पर एक वर एक हुकम रफात। दिनांक 25-9-17 को पेश हो। ✓
25-9-17	अभिभावक अपील/ रेसो उपस्थित। अतः पत्रावली दाखे 585/ अर्जित दिनांक 25-9-17 को पेश हो। ✓
26-9-17	अभिभावक अपील/ रेसो उपस्थित। अतः पत्रावली दाखे 585/ अर्जित दिनांक 3-10-17 को पेश हो। ✓
2-10-17	अभिभावक उभयपक्ष उपस्थित/ राजस्व अपील अधिकारी बाब अर्जित दिनांक पर है। अतः पत्रावली दाखे 585/ अर्जित दिनांक 5-10-17 को पेश हो। ✓
5-10-17	अभिभावक अपील/ रेसो उपस्थित। अतः पत्रावली दाखे 585/ अर्जित दिनांक 9-10-17 को पेश हो। ✓
9-10-17	पत्रावली केस 585/ अर्जित दिनांक 9-10-17 को पेश हो। स्वातंत्र्य पत्र पर अर्जित दिनांक 9-10-17 को पेश हो। को एक नया केस मुनीगरी/ पत्रावली को अर्जित दिनांक दिनांक 9-10-17 को पेश हो। अतः स्वातंत्र्य पत्र पर अर्जित दिनांक अपील की एक नया केस मुनीगरी के उपरान्त कोेश दिनांक 14-7-2006 को उचलत रफात नाई एक सुरगचका तहसील कोरकारी तक कार्यालय न्यायालय उचलत कार्यालय कोरकारी के अपील की कोेश दिनांक 14-7-2006 को उचलत रफात केस जाता है। कोई भी फर रह/ अपन करे। Cont - - (PTO)

धायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधि

अलवर [राज०]

रीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही	
	<p>तथा दस्तावेजी पुस्तक दस्तावेजों को सुनकर निर्णय किये जाते हैं कि जिसके विषय में उचित प्रतीत होता है।</p> <p>अथ कतिपय अवसरों पर उक्त कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से उचित विचारों को प्रकट करके निर्णय दिये जाते हैं कि उक्त विचारों को प्रकट करने के लिए उचित आदेश दिए जायें कि दस्तावेजों को सुनकर ही निर्णय किया जाये। दस्तावेजी पुस्तक सुनकर उक्त कठिनाई को दूर करने के लिए उचित विचारों को प्रकट करके निर्णय दिये जायें।</p>	

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर